एम.डी. अब्दुल सुफान लस्कर और अन्य

बनाम

असम राज्य

(2008 की आपराधिक अपील सं. 1343)

25 अगस्त, 2008

[सी.के. ठक्कर व दलवीर भंडारी, जेजे.]

दण्ड प्रक्रिया सहिंता, 1973 - धारा 320 - दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम न. 25) - अपराधों का शमन- अपराध अतर्गत धारा 324, भारतीय दंड सहिंता - तथाकथित 1995 में घटित - पक्षकारों के द्वारा प्रकरण में समझौता क्या अपराध का शमन अनुज्ञेय है - अभिनिर्धारित - हां चूंकि अपराध अतंर्गत धारा 324, सन् 1995 में दण्ड प्रक्रिया सहिंता के अनुसार शमनीय था - हालाकिं इस तरह के अपराध दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार शमनीय नहीं है, किन्तु उक्त संशोधन अधिनियम 23 जुन 2006 से लागू हुआ था। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है - दण्ड सहिंता, 1860 - धारा 324।

अपीलार्थियों द्वारा अन्य मुल्जिमान के साथ तथाकथित रूप से 'अ' के उपर घातक हथियारों से हमला किया व शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें कारित की। अधीनस्थ अदालत द्वारा अपीलार्थियों को धारा 324 व 147 भारतीय दंड सहिंता में दोषसिद्ध किया।

इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया की पक्षकारों द्वारा राजीनामा कर लिया गया है और आपसी सौहार्द से समझौता हो गया है।

इस न्यायालय के समक्ष इस अपील में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या पक्षकारों के आपसी राजीनामें व समझौते के आधार पर अपीलार्थियों द्वारा तथाकथित कारित किए गए अपराध अतर्गत धारा 324 भारतीय दण्ड सहिंता का शमन अनज्ञेय है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि -

1. अपराध का शमन का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध कारित किया गया है को प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं करने हेतु प्रलोभन के रूप में किसी प्रकार का परितोषन दिया गया, कुछ अपराध गंभीर प्रकृति के होते है जिनमें अपराध का शमन व समझौता अनुज्ञेय नहीं है। इसके विपरीत कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है, में कानून पक्षकारों को आपस में समझौता कर शमन करने की अनुमति देता है। [पैरा 12] [566-जी-एफ]

विन्जय देवन्ना नायक बनाम रयोत सेवा सरकारी बैंक लिमिटेड **(2008) 2 एससीसी 305 - पर आधारित।**

2.1 धारा 320, सीआरपीसी दण्ड प्रक्रिया सहिंता उन अपराधों से संबधित है। जिसमें पक्षकार न्यायालय की अनुमति बिना या न्यायालय की अनुमति के साथ शमन कर सकतें है। धारा 320 की उपधारा (1) ऐसे अपराधों का वर्णन करती है जो न्यायालय अनुमति के बिना शमन किए जा सकते हैं वहीं उपधारा (2) में वह अपराध वर्णीत है जो न्यायालय की अनुमति के साथ शमनीय है। ऐसे अपराध जो धारा 320 उपधारा (1) व (2) में वर्णीत नहीं है तथा संलग्न सारणी में शामिल नहीं किए गए हैं,

शमनीय नहीं है। दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 320 की उपधारा (8) स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि इस धारा के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है। संहिता के अधीन, जो मूलरूप से 1973 में पारित की गई थी, अपराध अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंण्ड संहिता (खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना) को न्यायालय की अनुमति के साथ शमनीय बनाया गया था। हालांकि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध जो अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है, दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 25) जो 23 जून 2006 से लागू हुआ था, के अनुसार अब शमनीय नहीं है। [पैरा 13, 14, 15, 16] [566-एच, 567-ए-एच, 568-ए]

2.2 अपीलार्थियों द्वारा तथाकथित रूप से अपराध 15 जून 1995 को कारित किया गया था, उपरोक्त तथ्य की रोशनी में 2005 का अधिनियम सं. 25 का वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर प्रभावी नहीं है। लिहाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी स्थिति में अनुमति नहीं दिए जाने का कोई कारण नहीं है जहां पक्षकारों द्वारा ऐसे अपराध का शमन किया गया है जो 1995 में तत्कालीन संहिता के अंतर्गत शमनीय था। अतः ऐसी स्थिति में अपराध के शमन की अनुमति दी जा सकती है तथा मुल्जिम को दोषमुक्त किया जा सकता है। [पैरा 17] [268-बी-सी]

न्यायिक दृष्टांत संदर्भः

(2008) 2 एस.सी.सी. 305 भरोसा किया पैरा 12

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील सं. 1343/2008।

असम उच्च न्यायालय गोवाहाटी के 2003 आपराधिक निगरानी संख्या 331 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 31.07.2007 के विरूद्ध।

अजीम एच. लस्कर और अभीजीत सेन गुप्ता अपीलार्थीयों की ओर से।

विषाल अरूण, आनंद और अवीजीत राय (मैसर्स कोर्पोरेट कानून ग्रुप) प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **सी.के. ठक्कर जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. विलम्ब क्षमा किया गया। प्रार्थना स्वीकार की गई।

2. वर्तमान अपील दिनांक 21.09.2002 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हेलाकांडी द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसकी पुष्टि सत्र न्यायाधीश, हेलाकांडी ने दिनांक 26.05.2003 को की थी और असम के उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 31 जुलाई 2007 को इसकी पुष्टि की थी।

3. मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्य यह है कि जून 1995 को, अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मोईनुल हक लसकर ने हेलाकांडी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। प्राथमिकी में सूचनाकर्ता शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसका भाई अब्दुल हक लसकर सुबह लगभग 06:30 बजे जमीन जोतने गया था। एफआईआर में उल्लेखित आठ आरोपियों ने घातक हथियारों से सुसज्जित होकर अब्दुल हक लश्कर पर हमला किया और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाई। शिकायतकर्ता मोईनुल हक लश्कर और उनके भाईयों का शौर सुनकर कई लोग वहां पहुंचे। आरोपी भाग गए और घायल को अस्पताल ले जाया गया। एफआईआर मिलने पर हेलाकांडी पुलिस स्टेशन के प्रभारी

अधिकारी ने भा.दं.सं. (आई.पी.सी) की धारा 147, 325, 506 के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए आरोपी के खिलाफ मामला संख्या 195/1995 दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान कई बयान दर्ज किए गए। चिकित्सा अधिकारी द्वारा घायल की जांच की गई और सभी आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 147, 323, 326, व 506 के अपराध का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे अस्वीकार कर अभियुक्तगण द्वारा अन्वीक्षा चाही गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए घायल अब्दुल हक लश्कर, मेडिकल अधिकारी व जांच अधिकारी सहित पांच गवाहों को परीक्षित करवाया गया। बचाव पक्ष ने किसी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 313 के बयान में आरोपी ने घटना व इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से इन्कार किया।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हेलाकांडी ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 21.09.2002 द्वारा आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 147, 324 के तहत दण्डनीय अपराध को प्रमाणित माना। हालांकि सजा के प्रश्न पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्त इस्लाम उदीन (अभियुक्त सं. 5) शहाबुदीन (अभियुक्त सं. 6) आफताफ उदीन (अभियुक्त सं. 3) और फकर उदीन (अभियुक्त सं. 2) युवा थे, इसलिए इन्हें भर्त्सना देकर रिहा करने का लाभ दिया जाना उचित है। क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में कोई अपराध कारित किया जाना या किसी अपराध में शामिल होना प्रकट नहीं होता है। हालांकि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब्दुल शुबान (अभियुक्त सं. 1), अब्दुल वाहिद (अभियुक्त सं. 7), अब्दुल कद्दूस (अभियुक्त सं. 8) और मुस्लिम उदीन

(अभियुक्त सं. 4) को भा.दं.सं. की धारा 147, 324 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध घोषित किया। भा.दं.सं. की धारा 147 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अभियुक्तों को एक महीने के साधारण कारावास और 100-100 रूपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया व अदम अदायगी पांच दिनों के साधारण कारावास से दण्डित किया। भा.दं.सं. की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए उन्होंने उन्हें दो महीने के लिए साधारण कारावास व प्रत्येक को 200 रूपए जुर्माना से दण्डित किया व अदम अदायगी 10 दिनों के लिए साधारण कारावास भुगतने की सजा दी। सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया था।

6. दोषसिद्धि व सजा के आदेश से व्यथित होकर, सभी अभियुक्तों ने आपराधिक अपील संख्या 20/2002 दायर की। श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय ने सजा के साथ दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

7. जिन चारों आरोपियों को सजा भुगतने का आदेश दिया गया, उनके द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 331/2003 दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा यह कहते हुए पुनरीक्षण को खारिज कर दिया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। वर्तमान अपील में उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।

8. 01.08.2008 को माननीय चेम्बर न्यायाधीश ने अपीलार्थीयों की कम सजा को मद्देनजर रखते हुए आत्मसमर्पण से छूट की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मामला 28.04.2008 को प्रवेश सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया था। उस दिन अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण समझौता कर लिया था और हालांकि धारा 324 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध को

अब गैर समझौता योग्य बना दिया गया है, लेकिन जिस समय अपराध किया गया था, वह समझौता योग्य था। न्यायालय ने उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी कर उन्हें शीघ्र तामील का आदेश दिया। घायल अब्दुल हक लश्कर को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। तदनुसार प्रत्यर्थीयों पर नोटिस तामील करवाए गए।

9. हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

10. अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षों ने मामले में समझौता कर लिया है व इस आशय का आवेदन पेश कर अनुतोष चाहा है कि धारा 147, 324 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराधों का शमन किया जावे व इस बाबत उचित आदेश विधिनुसार पारित किया जावे। पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता विलेख भी रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि घायल अब्दुल हक लश्कर ने स्वेच्छा से बिना किसी बल, धमकी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, दवाब आदि के संयुक्त समझौता याचिका इस न्यायालय में पेश करने हेतु अपनी सहमति दी है। सभी पक्षों द्वारा न्यायालय से प्रार्थना की कि पक्षकारों को अपराध के शमन की अनुमति दी जावे तथा तीनों अपीलार्थीयों जिनके द्वारा अपील दायर की गई है, को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. अब इसमे कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक अपराध को समग्र रूप से समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, न कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ, भले ही किसी एक व्यक्ति को इससे नुकसान हुआ हो। इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपराधी के खिलाफ उचित कार्यवाही करे। किसी अपराधी को दण्डित करना आपराधिक न्याय का प्रशासन करने वाले न्यायालय का भी समान रूप से कर्तव्य है।

12. परन्तु अपराध, अपराध है। कुछ अपराध बहुत गम्भीर होते हैं जिसने समझौता स्वीकार्य नहीं होता। दूसरी ओर, कुछ अन्य अपराध इतने गम्भीर नहीं होते हैं और कानून पक्षकारों द्वारा समझौता करके उन्हें निपटाने की अनुमति दे सकता है। किसी अपराध का शमन यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया है उसे मामले में आगे बढने से रोकने के लिए कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई है {विजय देवन्ना नायक बनाम रैयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, (2008) 2 एस.सी.सी. 305}।

13. जहां तक संहिता का संबंध है, धारा 320 ऐसे अपराधों से संबंधित है, जिसका शमन पक्षकारों द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति या न्यायालय की अनुमति के साथ किया जा सकता है। धारा 320 की उपधारा (1) उन अपराधों की गणना करती है जो न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता योग्य हैं, जबकि उक्त धारा की उपधारा (2) उन अपराधों को निर्दिष्ट करती है जो न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य है। धारा 320 की उपधारा (9) घोषित करती है कि "अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जावेगा, अन्यथा नही।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 320 की उपधारा (1) और (2) में संदर्भित नहीं किए और तालिका में शामिल नहीं किए गए अपराध शमन योग्य नहीं है। इसी प्रकार, भा.दं.सं. के अलावा अन्य कानूनों के तहत दण्डनीय अपराधों का भी शमन नहीं किया जा सकता है।

14. संहिता की धारा 320 की उपधारा (8) स्पष्ट रूप से अधिनियमित करती है कि जहां इस धारा के तहत अपराध का शमन न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाता है तो इसका प्रभाव उस अभियुक्त का दोषमुक्त होना होगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है।

15. संहिता के तहत जैसा कि मूल रूप से 1973 में अधिनियमित किया गया था, में भा.दं.सं. की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) को न्यायालय की अनुमति से शमनीय बनाया गया था। उक्त प्रविष्टि निम्नानुसार है

तालिका

अपराध	भा.दं.सं. की धारा लागू	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है।
1	2	3
खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।	324	वह व्यक्ति जिसको चोट पहुंचाई गई हो।

16. यह नि:संदेह सत्य है कि जैसा कि इस मामले की प्रारम्भिक सुनवाई के समय भी अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा था कि दं.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 25) के द्वारा उपरोक्त प्रविष्टि को हटा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना का अपराध जो कि भा.दं.सं. की धारा 324 के तहत दण्डनीय है, अब शमनीय नहीं है। 2005 का संशोधन अधिनियम 23.06.2006 से लागू हुआ था।

17. जैसा कि हमने पहले ही अभिलिखित किया है कि, अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थीयों ने 15.06.1995 को अपराध कारित किया था। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, 2005 का अधिनियम 25 इस मामले के तथ्यों पर

लागू नहीं होता है। इसलिए हमें पक्षकारान द्वारा चाही गई अनुमति को अस्वीकार करने का कोई आधार प्रकट नहीं होता जहां पक्षकारों द्वारा ऐसे अपराध में समझौता किया है जो 1995 की संहिता के तहत शमनीय था। लिहाजा ऐसी स्थिति में शमन की अनुमति दी जा सकती है और अभियुक्तों (अपीलार्थीयों) को दोषमुक्त किया जा सकता है।

18. उपरोक्त कारणों से हमारी राय में अपील स्वीकार की जानी चाहिए और तदनुसार यह मानते स्वीकार की जाती है तो कि चूंकि दोनों पक्षों के बीच समझौते से अपराध का शमन हो गया तथा चूंकि इसमें कोई अवैधता नहीं है, लिहाजा न्यायालय द्वारा शमन की अनुमती दी जा सकती है। परिणामतः अपीलकर्ता दोषमुक्ति के पात्र है।

19. सभी न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीयों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अजयदीप सिंह (**आर.जे.एस**.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।